

[भारत के राजपत्र असाधारण ,भाग2 , खंड3 , उपखंड) i (में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं/38 .2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली , तारीख 13 अक्टूबर , 2017

सा.का.नि)..... अ.(—केन्द्रीय सरकार ,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम ,2017)2017 का12) की धारा 23की उपधारा) 2 (द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर ,भारत सरकार के वित्त मंत्रालय) राजस्व विभाग (की अधिसूचना सं .32/2017-केन्द्रीय कर ,तारीख 15 सितंबर ,2017 ,जो भारत के राजपत्र असाधारण ,भाग2 , खंड3 , उपखंड) i (में ,सा.की.नि .सं .1158)अ(, तारीख 15 सितंबर ,2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ,में निम्नलिखित संशोधन करती है ,अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में –

(i) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9	टैक्सटाइल) हथकरघा उत्पाद(, हाथ से बनी शालें ,स्टोल और स्कार्फ	50, 58, 61, 62, 63सहित";
----	---	--------------------------

)ii(क्रम सं .28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों केपश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा ,अर्थात्:-

"29	श्रृंखला टांका	कोई अध्याय
30	क्रिवेल ,नामदा ,गाबा	कोई अध्याय
31	खपच्ची भिसा उत्पाद	कोई अध्याय
32	तोरण	कोई अध्याय
33	शोला से बनी चीजें	कोई अध्याय"।

[फा.सं .349/74/2017-जीएसटी)पीटी(]

)डा .श्रीपार्वती एस.एल.

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचनासं .32/2017-केन्द्रीय कर ,तारीख 15 सितंबर ,2017 भारत के राजपत्र असाधारण ,भाग2 , खंड3 , उपखंड) i (में सा.की.नि .सं .1158)अ(, तारीख 15 सितंबर ,2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।